

कार्यालय नगर परिषद आलोट जिला रतलाम(म.प्र.)

क्रमांक 3116

आलोट दिनांक 03/12/2019

सूचना पत्र

(म.प्र.न.पा अधिनियम की धारा 1961 एवं धारा 187 के अंतर्गत)

प्रति,

मनोज काला

घाई 13 एम.पी.ई.बी. कार्यालय के पिछे, आलोट

विषय :- बगैर अनुमती से माल गोदाम का निर्माण कार्य करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा कृषि उपज मंडी के पिछे (बायपास रोड) के पास बगैर अनुमती से माल गोदाम का निर्माण कार्य कर लिया गया है। आपके इस निर्माण कार्य के संबंध में कार्यालय द्वारा पूर्व में भी आपको मौखिक रूप से गोदाम का निर्माण कार्य रोकने के लिये एवं कार्यालय द्वारा सूचना पत्र भी दिया गया था। किन्तु उसके उपरांत भी आपके द्वारा निरन्तर निर्माण कार्य किया जाकर कार्य पुर्ण कर लिया गया है। आपके उक्त निर्माण कार्य के संबंध में कार्यालय को लगातार शिकायते प्राप्त हो रही है।

आपका इस तरह का कृत्य म.प्र.न.पा.अधिनियम 1961 एवं 187 की धाराओं के अन्तर्गत अवैधानिकता की श्रेणी में आता है।

अतः आपको इस सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि एक दिवस के अंदर माल गोदाम के भुमि स्वामित्व संबंधित दस्तावेज या निर्माण अनुमती प्राप्त की हो तो कार्यालय में निर्माण अनुमती संबंधि दस्तावेज प्रस्तुत करे। अन्यथा दशा में आपके विरुद्ध योग्य वैधानिका कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर किया गया अवैध निर्माण तोडने की कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समस्त जवाबदारी आप स्वयं की होगी।

सूचित हो।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद आलोट
आलोट दिनांक 03/12/2019

प्र. क्रमांक 3996 / 2019
प्रतिलिपि -

1. योगेश शुक्ला उपयंत्री नगर परिषद आलोट की ओर भेजकर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म. प्र. भोपाल

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत आलोट

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

कार्यालय नगर परिषद आलोट जिला रतलाम(म.प्र)

क्रमांक / 3186

आलोट दिनांक 06 / 12 / 2019

अंतिम सूचना पत्र

(म.प्र.न.पा अधिनियम की धारा 1961 एवं धारा 187 के अंतर्गत)

प्रति,

मनोज काला

वार्ड 13 एम.पी.ई.बी. कार्यालय के पिछे, आलोट

विषय :-

बगैर अनुमती से माल गोदाम का निर्माण कार्य करने के संबंध में।

संदर्भ:-

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3116 दिनांक 3-12-2019

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा कृषि उपज मंडी के पिछे (बायपास रोड) के पास बगैर अनुमती से माल गोदाम का निर्माण कार्य कर लीया गया है। आपके इस निर्माण कार्य के संबंध में कार्यालय द्वारा पूर्व मे भी कई बार आपको मौखिक रूप से गोदाम का निर्माण कार्य रोकने के लिये एवं कार्यालय द्वारा सूचना पत्र बार बार देने के उपरांत भी आपके द्वारा गोदाम का निर्माण कार्य किया जाकर कार्य पुर्ण कर लीया गया है। इस गोदाम निर्माण के संबंध में आपके द्वारा आज दिनांक तक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये न ही आपके द्वारा कोई जवाब कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। आपके उक्त निर्माण कार्य के संबंध में कार्यालय को लगातार शिकायते प्राप्त हो रही है।

आपका इस तरह का कृत्य म.प्र.न.पा.अधिनियम 1961 एवं 187 की धाराओं के अन्तर्गत अवैधानिकता की श्रेणी में आता है।

अतः आपको अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि पुनः एक दिवस के अंदर माल गोदाम के भुमि स्वामित्व संबंधित दस्तावेज या निर्माण अनुमती प्राप्त की हो तो कार्यालय में शिघ्र प्रस्तुत करे। अन्यथा दशा में आपके द्वारा किया गया अवैध निर्माण (माल गोदाम) तोडने की कार्यवाही नगर परिषद आलोट द्वारा की जावेगी । जिसकी समस्त जवाबदारी आप स्वयं की होगी।

सूचित हो।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद आलोट
आलोट दिनांक 06 / 12 / 2019

प्र. क्रमांक / 3187 / 2019

प्रतिलिपि -

1. योगेश शुक्ला उपयंत्री नगर परिषद आलोट की ओर भेजकर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म. प्र. भोपाल

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर प्रशासन आलोट

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग